बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

कार्यपरिषद

की दसवीं बैठक

दिनांक 12-06-2013 के कार्यवृत्त

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA JAGDALPUR
[A State University]
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229226, www.bvvjdp.ac.in

क्र/1470/ब.वि.वि./2013

जगदलपुर, दिनांक 21/06/2013

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के **कार्यपरिषद** की दसवीं बैठक दिनांक 12.06.2013 की कार्यवृत्त :–

बैठक में निम्नलिखित सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे:–

01.	प्रोफेसर एन.डी.आर. चन्द्र	–	अध्यक्ष
02.	डॉ. डी.एन. मेहर	–	सदस्य
03.	श्री टी. कोन्डलराव,	–	सदस्य
04.	डॉ. व्ही. विजयलक्ष्मी,	–	सदस्य
05.	फादर टी.जे. पॉल	–	सदस्य
06.	प्रोफेसर एस.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
07.	श्री अब्दुल नसीर खान	–	सदस्य
08.	डॉ. विजय बघेल,	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
09	डॉ. स्वपन कुमार कोले, कुलसचिव	–	सचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.) के कार्यपरिषद की दसवीं बैठक दिनांक 12.06.2013 को संपन्न हुई। कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों के द्वारा दो मिनट का मौन धारण कर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. विद्याचरण शुक्ल जी के असामयिक निधन पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया:–

1. माननीय लाला जगदलपुरी को डी.लिट. की उपाधि प्रदान किये जाने विषयक्।

विभागीय टीप– बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के द्वारा डॉ. एस.के. पाटिल, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को परिनियम 14 में निहित प्रावधान के अनुसार माननीय लाल जगदलपुरी को डी.लिट. की मानद उपाधि हेतु समिति में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा नामांकित किया गया है। (संलग्न)

निर्णय– *माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि मानद उपाधि हेतु परिनियम 14 के तहत एक बैठक आयोजित होना है, जिसमें अंतिम रूप से मा. लाला जगदलपुरी को डी.लिट की उपाधि प्रदान करने संबंधी निर्णय लिया जावेगा। मान. सदस्यों द्वारा उक्त सूचना ग्रहण किया गया।*

2. शासकीय शहीद वीर गेंदसिंह महाविद्यालय पंखाजूर में स्व–वित्तीय योजना के अर्न्तगत एम.ए. हिन्दी, राजनीति एवं डी.सी.ए. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति बाबत्। (संलग्न)

निर्णय– *उक्त संबंध में मान. सदस्यों द्वारा बताया गया कि नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग से निर्धारित प्रारूप में दिसम्बर माह तक आवेदन करना होता है। उक्त संबंध में उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति मिलने के उपरांत नियमानुसार अनुमति प्रदान की जा सकती है। सर्वसम्मति से पारित।*

3. श्री आशुतोष सिंह कछवाहा, उप महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर को बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के न्यायिक प्रकरणों में पैरवी करने के लिए पैनल अधिवक्ता नियुक्त किये गये है। (संलग्न) अनुमोदनार्थ।

निर्णय– *इस संबंध में मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी दी गई कि चूंकि हाल ही में बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों हेतु विज्ञापन जारी किया है, जिसके लिये मान. उच्च न्यायालय में केविएट दायर करना होता है ताकि कोई वैधानिक दिक्कते न हो सकें। इस कारण से विश्वविद्यालय के न्यायिक प्रकरणों के निपटारे हेतु श्री आशुतोष कछवाहा को पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। उक्त सूचना मान. परिषद ने ग्रहण किया।*

4. बस्तर विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन में फाईवर ग्लास रूफिंग कर कार्यक्रम स्थल (Programme Hall) में परिवर्तन हेतु रूपये 13.50 लाख निर्माण कार्य तथा रूपये 6.50 लाख फर्नीचर, विद्युत एवं अन्य व्यय इस प्रकार कुल रूपये 20 लाख का परीक्षा मद से कार्य कराने अनुमति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।
संलग्नः–अनुमानित प्राकलन ।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार कार्य नियमानुसार कराये जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।*

5. (a) जैव प्रौद्योगिकी, समाज कार्य एवं एम.सी.ए. अध्ययनशाला के प्रयोगशाला उपकरण एंव रसायन (केमिकल) की खरीदी की अनुमति के संबध में। (इसकी कीमत एक करोड़ 18 लाख राशि है।)

I	पुस्तक	15.00 लाख
II	फर्नीचर/उपकरण	55.00 लाख
III	कम्प्यूटर उपकरण	20.00 लाख
IV	लैब निर्माण	18.00 लाख
V	लैब	10.00 लाख

योग 1 करोड़ 18 लाख रूपये (स्थापना मद से)

संलग्नः–प्रायोगिक उपकरणों की एंव आवश्यक रसायनें की सूची।

(b) Bio Technology उपकरण एवं रसायनिक पदार्थो के लिए 37,53,915.00 अनुमति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय– *उपरोक्त संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त मद में शासन से प्राप्त अनुदाना राशि से नियमानुसार क्रय/निर्माण की कार्यवाही की जावे।*

6. विश्वविद्यालय परिसर में किए गये बोरवेल्स हेतु सममरसिबिल पंप एवं पाईप खरीदने हेतु अनुमानित राशि 1.50 लाख रू. की अनुमति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार नियमानुसार सबमरसिबल पम्प एवं पाईप क्रय करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।*

7. अतिथि गृह को सुसज्जित किए जाने बावत् विभिन्न सामग्रियों के कय किए जाने हेतु अनुमानित राशि 11,55,000 रू की अनुमति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। **(संलग्न)**

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में नियमानुसार क्रय करने की कार्यवाही का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।*

8. बस्तर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राओं हेतु कैंटीन/रेस्टोरेंट की सुविधा बाबत्।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि छात्र/छात्राओं हेतु कैंटीन/रेस्टोरेंट की सुविधा हेतु नियमानुसार संविदा आधार पर एक वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही कैंटीन खोलने की अनुमति दिया जाये।*

9. बस्तर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अध्ययनशालाओं में छात्र/छात्राओं के लिए मोटर साईकिल व साईकिल स्टैण्ड की सुविधा बाबत्। **(विधायक मद से प्राप्त)**

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में मान. सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि चूंकि विधायक मद से कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाता है। अतः विधायक महोदय से शीघ्रातिशीघ्र आबंटन प्राप्त कर कार्य कराया जावे।*

10. अध्ययनशाला में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए फील्डवर्क व अध्ययन भ्रमण हेतु सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत् जैसेः– वानिकी, मानव जनजाति, ग्रामीण प्रौद्यौगिकी, समाज कार्य हेतु मिनी बस की आवष्यकता। (सांसद निधि से आश्वासन)

निर्णय– *उक्त संबंध में मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद को यह जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय अध्ययनशाला हेतु मिनी बस हेतु सांसद दिनेश कश्यप ने सहयोग करने की बात कही है। इस संबंध में मान. सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि पहले मान. सांसद महोदय से मांग की जावे ततृपश्चात यू.जी.सी. 12बी. में आने के पश्चात मांग की जा सकती है।*

11. केन्द्रीय ग्रंथालय का उपयोग जन साधारण अपने ज्ञानार्जन कर सके इसके लिए विश्वविद्यालय सदस्यों के अलावा अन्य उपयोगकर्ताओं को भी ग्रंथालय सुविधा प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। इस हेतु सामान्य ज्ञान/प्रतियोगिता परीक्षा/विभिन्न विषयों से संबंधित लगभग 30.00 लाख रू. की पुस्तके जी.ओ.सी. की रिपोर्ट के आधार पर क्रय किया जाना है तथा ग्रथालय को वातानुकुलित एवं स्वचलित बनाये जाने हेतु प्रस्ताव है। यह भी कि इसके लिए विश्वविद्यालय जनसाधारण से रू. 20/– प्रतिदिन के रूप में अथवा वार्षिक रू 2000/– सहयोग राशि के रूप में लिए जायेगें **(संलग्न)**

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में मान. सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय केन्द्रीय ग्रंथालय का उपयोग के लिये सहयोग राशि के रूप में एक दिन का 20/–, एक माह का सदस्या 200/– तथा एक वर्ष की सदस्यता 2000/– रखा जावे। तथा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ–साथ कम्प्यूटरों में वेब कैम की व्यवस्था भी की जावे। उपरोक्तानुसार निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।*

12. बस्तर विश्वविद्यालय के लिए खरीदी संबंधी प्रस्ताव **(संलग्न)**

I	भण्डार शाखा को आवश्यकतानुसार राशि रू.15000/– अग्रिम प्रदाय (इम्प्रेस्ट मनी) प्रदान करने बाबत्।
II	परीक्षा फार्म एवं अन्य स्टेशनरी सामग्री रखने हेतु 10 नग टीन बाक्स क्रय करने के संबंध में।
III	पुराने फोटो कापी मशीनी मरम्मत हेतु।
IV	जेनरेटर सुरक्षा हेतु टीन सेड निर्माण करने बावत्।
V	प्राशासनिक भवन, अकादमिक भवन एवं कुलपति निवास हेतु लगभग 30 नग ए.सी. क्रय करने बाबत्।
VI	पूर्व में क्रय की गई यू.पी.एस. पूर्णतः खराब होने के कारण पुराने एवं नये कम्प्यूटर हेतू 70 नग यू.पी.एस. क्रय करने बाबत्।
VII	नये कम्प्यूटर टेबल/कुर्सी 80–80 नग क्रय करने बाबत्।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में मान. सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिया गया कि:–*

01. *भण्डार शाखा को आवश्यकतानुसार राशि रू.15000/– अग्रिम प्रदाय (इम्प्रेस्ट मनी) प्रदान करने की स्वीकृति।*

02. *परीक्षा फार्म एवं अन्य स्टेशनरी सामग्री रखने हेतु 10 नग टीन बाक्स नियमानुसार भावपत्र मंगाकर क्रय की अनुमति।*

03. *पुराने फोटोकॉपी मशीन का मरम्मत अधिकृत फर्म से नियमानुसार कराने की अनुमति।*

04. *जनरेटर सुरक्षा हेतु नियमानुसार भावपत्र आमंत्रित कर शेड निर्माण की अनुमति।*

05. *प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन एवं कुलपति निवास हेतु लगभग 30 नग ए.सी. सीधे कंपनी से अथवा डी.जी.एस.एण्ड डी. अथवा सी.एस.आई.डी.सी. दर पर, कम विद्युत खपत की दृष्टि से पांच सितरा मार्क वाले ए.सी. नियमानुसार क्रय की अनुमति।*

06. *यू.पी.एस. जो हाई केपेसीटी का हो, जिससे एक कक्ष में स्थापित सभी कम्प्यूटरों को चलाया जा सके, इस प्रकार के बड़े यू.पी.एस. सिस्टम नियमानुसार डी.जी.एस.एण्ड डी. अथवा सी.एस.आई.डी.सी. दर पर क्रय की अनुमति। सीधे अधिकृत निर्माता/कंपनी से भी खरीदने का प्रयास करें।*

07. *नये कम्प्यूटर टेबल/कुर्सी 80–80 नग क्रय हेतु नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर अथवा सी.एस.आई. डी.सी. दर पर क्रय की अनुमति।*

13. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय गृह निर्माण कार्यो हेतु अकादमिक भवन प्रथम तल, कुलपति निवास एवं कुलसचिव निवास हेतु राशि रू. 215.65 लाख विमुक्त किया गया है जिसके लिए छ.ग. गृह निर्माण मंडल, जगदलपुर को कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रथम किश्त की राशि 108.00 लाख जारी किया गया है तथा कार्य पूर्णतः की ओर होने के कारण द्वितीय किश्त की शेष राशि 107.00 लाख जारी करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थं।

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में मान. सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छ.ग. हाउसिंग बोर्ड को द्वितीय किश्त का 80 प्रतिशत राशि ही हस्तांतरित किया जावे। शेष 20 प्रतिशत राशि कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र देने तथा कार्य सतोंषप्रद होने उपरांत ही किया जावे।***

14. विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने तथा छः महीने कोर्स वर्क के लिए समन्वयक के रूप में सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को नियुक्त किया जायेगा। इस हेतु 1000 रू. प्रति दिन के दर से या अधिकतम 30,000/50,000 हजार रू. प्रतिमाह (रिटायर्ड प्रोफेसर के मामले में) मानदेय के रूप में (मान. कुलपति के विवेकानुसार) दिया जायेगा। यदि अंशकालिन समन्वयक नियुक्त किया जाता है तो 2000 रू. प्रतिमाह दिया जायेगा। अनुमति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार प्रस्ताव को मान. सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा सुझाव दिया गया कि उक्त प्रस्ताव को शासन को भी प्रेषित किया जाये ताकि भविष्य में यदि उक्त संबंध में शासन से मद प्राप्त होगा तो अच्छा रहेगा। शासन के नियमानुसार पूर्णकालिक समन्वयक का वेतन निर्धारण होगा।***

15. पी.एच.डी./स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में गुणवत्ता लाने के लिए विषय विशेषज्ञों से परामर्श एवं मूल्यांकन कराने हेतु 1000 रू. मानदेय एवं वास्तविक यात्रा व्यय नियमानुसार दिया जायेगा। अनुमति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में मान. सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विषय विशेषज्ञों से परामर्श एवं मूल्यांकन हेतु प्रति विषय यू.जी.सी. के नियमानुसार मानदेय तथा आने–जाने का वास्तविक व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा। यह केवल बाहय विशेषज्ञों के लिये मान्य होगा तथा यहां के स्थानीय व्यक्तियों/विशेषज्ञों के लिये लागू नहीं होगा उन्हें केवल राशि रूपये 300/– प्रति दिवस की दर से देय होगा या वास्तविक यात्रा व्यय/डी.ए. शासकीय नियमानुसार देय होगा।***

16. प्रकाशन एवं सूचना कार्यो (Publication & Information Jobs) के लिए एक संविदा पद पर सहायक ग्रंथपाल (वेतन ग्रंथपाल पद के विरूद्ध आहरण होगी) नियुक्ति किया जाना है जिसके मासिक देयक रू. 27840/– होगा। ऐसे अधिकारी की जरूरत बस्तर विश्वविद्यालय के News Letter, दो जरलन एवं लाइब्रेरी के आधुनीकरण के लिए जरूरी है।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में मान. अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय News Letter, दो जरलन प्रकाशित करने जा रहा है। यह विश्वविद्यालय के लिये एक बड़ी उपलब्धि होगी, इससे विश्वविद्यालय का व्यापक प्रचार–प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। उक्त प्रस्ताव मान. सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से मान्य किया गया। इसके लिये अर्हता (1) एम.लिब, (2) **Post Graduate in Computer Application** एवं (3) न्यूजलेटर एवं जेनरल एडिटिंग का अच्छा अनुभव होना चाहिये। यह भी कि पब्लिकेशन ऑफिसर पद स्वीकृति के लिये प्रस्ताव शासन को दी जावेगी, तत्काल नियुक्ति के लिये लिखा जावेगा।*

17. संविदा नियुक्ति में एक ओ. एस.डी. प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यो के लिए नियुक्त किया जाना है जिसका मासिक देयक रू. 45,000/– होगा। (Dr. M.L. Naik, Ex. Director General, Chhattisgarh Council of Science & Technology, Raipur) का बायोडाटा प्राप्त है। इनकी वेतन संबंधी अनुमति शासन स्तर से ली जावेगी तदउपरांत नियुक्ति की जावेगी।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में मान. अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय में अधिकांश पद रिक्त हैं। इसलिये विशेष कर्त्तव्य अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है। उक्त संबंध में मान. सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन से अनुमति लेकर नियमानुसार विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित कर नियुक्ति की कार्यवाही किया जाये। इस पदधारी का वेतन प्रोफेसर के बराबर होगा यदि वह नियमित सेवा में है। यदि सेवानिवृत्त है तो शासन के नियमानुसार देय होगा। यदि व्यक्ति 70 साल से अधिक आयु का है तो उसे 45000/– मानदेय पर नियुक्त किया जा सकता है।*

18. स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पी.एच.डी. प्रोग्राम में जिनमें नियमित प्राध्यापक कम हैं या नही है उन विभाग में कोर्स को पूरा करने के लिये पार्टटाइम अतिथि विषय विशेषज्ञ बुलाया जायेगा। आने जाने एवं रहने के लिए मानदेय शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान. कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।*

19. विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु ग्राम करंजी में 200 एकड़ भूमि हेतु मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। (संलग्न)

निर्णय– *उपरोक्तानुसार सूचना मान. कार्य परिषद द्वारा ग्रहण किया गया तथा उक्त कार्य को विश्वविद्यालय हेतु एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए उक्त कार्य की सराहना भी की गई। मान. सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम करंजी स्थित 200 एकड़ भूमि में अहाता निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जावे तथा उक्त स्थल हेतु एक मास्टर प्लान तैयार कराया जा सकता है, जिसके अनुसार वहां भविष्य में निर्माण कार्य किया जावेगा।*

20. बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति जी के प्रयास से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 12B के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को मान्यता संबंधी कागजात सचिवालय में विचाराधीन है।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार सूचना मान. कार्य परिषद द्वारा ग्रहण किया गया।*

21. बस्तर विश्वविद्यालय परिसर में बस्तरिया म्यूजियम एण्ड एम्पोरियम की स्थापना का प्रस्ताव सरकार प्रथम अनुपूरक अनुमान विचार की सहमति दी है। (संलग्न)

निर्णय– *उपरोक्तानुसार सूचना मान. कार्य परिषद द्वारा ग्रहण किया गया।*

22. बस्तर विश्वविद्यालय में तृतीय, चतुर्थ एवं शिक्षकों आदि की भर्ती हेतु साक्षात्कार के लिए प्रकिया एवं विषय विषेषज्ञों संबंधी गोपनीयता आदि के लिए विश्वविद्यालय को अधिकृत करना। अनुमति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान. कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से मान्य किया गया।*

23. तृतीय चतुर्थ एवं प्राध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया जिसका वास्तविक खर्च का भुगतान किया जायेगा अनुमति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में मान. कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विज्ञापन का वास्तविक व्यय का भुगतान किया जावे।*

24. प्रतिवर्ष बस्तर विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक समूह द्वारा युवा उत्सव एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं इसमें प्रतिभागियों को 200 रू. प्रति दिन दैनिक भत्ता एवं टीम मैनेजर को शासन के नियमानुसार दैनिक भत्ता देय होगी। (यह व्यवस्था बाहर जाने पर लागू होगी यदि आयोजक/संस्था उपयुक्त आवास, खाने पीने की व्यवस्था करती है तो दैनिक भत्ता का भुगतान न करे। अनुमति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान. कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से मान्य किया गया।*

25. विश्वविद्यालयीन कार्यों (परीक्षा, संग्रहण गोपनीय, रा.से.यो. अकादमिक कार्यो आदि) के सुगम एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु प्राशानिक भवन के प्रथम तल का निर्माण कार्य हेतु परीक्षा मद 144.00 लाख रूपये प्राक्कलन अनुसार कराये जाने हेतु अनुमति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में मान. कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के प्रथम तल का निर्माण कार्य परीक्षा मद से न किया जाकर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से बटवारा में प्राप्त अधोसंरचना हेतु 175.00 लाख में से कराया जाये। चूंकि उक्त राशि बैंक में विभिन्न टुकड़ों में फीक्स डिपॉजिट में जमा है अतः आवश्यकतानुसार फीक्स डिपॉजिट तोड़कर कार्य कराया जाये।*

27. महाविद्यालयों को परीक्षाओं के संचालन हेतु एवं प्रश्न पत्रों के जांच हेतु केन्द्रों को एक साथ माह अप्रैल 2013 से बैठक दिनांक तक 1 लाख रूपये से अधिक का अग्रिम जो भी दिया गया है उसको स्वीकार करने बाबत्।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान. कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति मान्य किया गया।*

28. मुख्य परीक्षा 2013 के Result Processing का कार्य का MICS भोपाल द्वारा किया जा रहा है। MICS भोपाल द्वारा Pre Result Processing Roll List तैयार करने का स्वीकृत दर से आधार पर रूपये 1,78,617.00 देयक भुगतान के लिए दिनांक 13/05/13 को प्रस्तुत किया गया है। अनुबंध की शर्तो के अनुसार फर्म को 1,78,617.00 की 90% राशि 1,60,755.00 (एक लाख साठ हजार सात सौ पचप्पन) रू. मात्र भुगतान के लिए स्वीकृति प्रस्तुत।

निर्णय– *उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान. कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति मान्य किया गया।*

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

<u>विषय कमांक 01</u>:— छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर के आदेश कमांक एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर दिनांक 17 जनवरी, 2013 के अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 का नियमन जारी हुआ है। जिसमे सेवानिवृत्त कर्मचारी को संविदा नियुक्ति 65 वर्ष की आयु सीमा वृद्धि कर 70 वर्ष की गई है। जिसके अंतर्गत निम्न कर्मचारियो को एक वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति पर रखा गया है।

1. **श्री एस.सी.केवट, वरिष्ठ अधीक्षक** – 1 अप्रैल, 2013 से एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है।
2. **श्री मुनीउर रहमान, कनिष्ठ अधीक्षक** – दिनांक 8 अप्रैल,2013 अपरान्ह से एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है।

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार सूचना मान. कार्य परिषद ने ग्रहण किया।***

<u>विषय कमांक 02</u>:— राज्य शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। (आदेश संलग्न)

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार सूचना मान. कार्य परिषद ने ग्रहण किया तथा राज्य शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।***

<u>विषय कमांक 03</u>:— दैनिक मजदूरों को नए दर भुगतान करने के संबंध में। (कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर के आदेश संलग्न)

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार सूचना मान. कार्य परिषद ने ग्रहण किया। तथा सर्वसम्मति से नियमानुसार कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।***

<u>विषय कमांक 04</u>:— बस्तर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2013–14 के लिए नया कोर्स एम.सी.ए. प्रारंभ हो रहा है यदि आवश्यकता हुई तो इस विषय की संविदा नियुक्ति Walk-in- interview के द्वारा किये जाने के लिए विश्वविद्यालय को अधिकृत किये जाने संबंधित।

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में मान. कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुमोदन किया गया।***

<u>विषय कमांक 05</u>:— MCA शुरू करने संबंधी जानकारी आगामी सत्र से 50 सीट होगें।

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार सूचना मान. कार्य परिषद ने ग्रहण किया।***

<u>विषय कमांक 06</u>:— बस्तर विश्वविद्यालय एवं माननीय कुलपति जी के आवास की सुरक्षा के लिये 6 सुरक्षा गार्ड की अनुमति बाबत्।

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से मान्य किया गया।***

विषय कमांक 7:– नये विषयों में स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. कार्यक्रमों के साथ–साथ विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा इन एन.जी.ओ. एवं सर्टिफिकेट इन एन.जी.ओ. एवं छत्तीसगढ़ सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च का भी प्रस्ताव किया जिसे विद्या परिषद के सभी मान. सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, तथा यह भी निर्णय लिया गया कि नये स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का अध्यादेश को लागू करते हुए उसमें आवश्यकतानुसार सुधार (Amendment) किया जायेगा। कार्य परिषद के मान.सदस्यों की जानकारी हेतु प्रस्तुत। (संलग्न)

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार सूचना मान. कार्य परिषद ने ग्रहण किया।***

विषय कमांक 8:– बस्तर विश्वविद्यालय एम.फिल. धारी पी.एच.डी. उम्मीदवारों को नियमानुसार कोर्स वर्क के लिए छूट दे सकता है।

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार सूचना मान. कार्य परिषद ने ग्रहण किया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त संबंध में यू.जी.सी. के नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार कार्य किया जावे।***

विषय कमांक 9:– Oxfam India, Thane एवं केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय मानव संसाधन नई दिल्ली द्वारा आदिवासी एवं हिन्दी विषयों पर संगोष्ठी बस्तर विश्वविद्यालय में आयोजित करने की पेशकश की है जिसके लिए वे वित्तीय व्यवस्था करेगें। किन्तु आबंटित राशि पर्याप्त नही होती है, अतः आने वाले बाह्य प्रायोजन संस्था के साथ बस्तर विश्वविद्यालय भी एक लाख रू. खर्च करेगी।

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान्य करते हुए मान. कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुमोदन किया गया।***

टेबल ऐजेण्डा

विषय कमांक 10:– बस्तर विश्वविद्यालय परिसर में प्रकाश व्यवस्था की उचित व्यवस्था हेतु सोलर लैम्प लगाये जाने की अनुमति। शासन के नियमानुसार सोलर लैम्प के क्रय में सब्सिडी का भी प्रावधान होता है। कृपया अनुमति देना चाहें।

निर्णय– ***उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान. कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से मान्य किया गया तथा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान किया गया।***

21/6/13
कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

पृ.क्र. 1471 / ब.वि.वि. / 2013 जगदलपुर दिनांक, 21 / 6 / 2013

प्रतिलिपिः—

01. माननीय कुलपति महोदय, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को सूचनार्थ।
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर को सूचनार्थ।
03. कार्यपरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यगणों को सूचनार्थ।
04. बस्तर विश्वविद्यालय के समस्त विभाग प्रमुखों को सूचनार्थ।

21/6/13

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)